[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 24/2022 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

सा.का.नि.......(अ).- केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तारीख 1 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, -

(क) नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा;

(ग) नियम 127 में, “कर्तव्य” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता है, “कृत्य” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा;

(ड़) नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा;

(च) नियम 137 के पश्चात के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(क) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;’।

[फा. सं. सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यां 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 22/2022-केंद्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2022, सा.का.नि. 817 (अ) तारीख 15 नवम्बर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।